म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल.

क./बोर्ड/यो.गै.तक./77/2018–19/989 भोपाल, दिनांक 03/07/2018

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति...(समस्त)
जिला ....(म.प्र.)

विषय :– प्रदेश की मण्डी समितियों में कार्यरत लायसेंसधारी हम्माल एवं तुलावटियों को सम्मानित करने के संबंध में।

–000–

प्रस्तावना/उद्देश्य :–

प्रदेश की मण्डी समितियों में कार्यरत हम्माल तथा तुलावटियों द्वारा किये जाने वाले परिश्रम को सम्मान देने के लिये यह योजना प्रारम्भ की जा रही है ऐसे हम्माल/तुलावटी जिनके द्वारा मण्डी समिति में अधिकतम कार्य निर्विवाद रूप से किया गया उन्हें सम्मानित किया जायेगा, जिससे वह और अधिक कुशलता एवं निर्विवाद रूप से कार्य करें एवं मण्डी समिति के अन्य हम्माल एवं तुलावटियों को निर्विवाद कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त हो।

उपरोक्त योजना अन्तर्गत प्रदेश की मण्डी समितियों में कार्यरत लायसेंसधारी हम्माल एवं तुलावटियों को उत्कृष्ट कार्य के लिये सम्मानित किया जायेगा। जिसमें उन्हें सम्मान स्वरूप प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किये जावेंगे। योजना अंतर्गत हम्माल एवं तुलावटी को वर्ष में एक बार सम्मानित किया जावेगा।

1. **योजना का नाम** :–उक्त योजना **"मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सम्मान योजना 2018"** कहलायेगी।

2. **योजना के लिये पात्रता :–**
   1. योजना में 18 से 62 वर्ष तक आयु के हम्माल एवं तुलावटी शामिल किये जावेंगे।
   2. हम्माल एवं तुलावटी मण्डी समिति में नियमित रूप से पूरे एक वर्ष लगातार कियाशील रहे हों।
   3. उपरोक्त योजना में वही हम्माल एवं तुलावटी शामिल होंगे जिनके विरूद्ध वर्ष में व्यापारियों एवं कृषकों के द्वारा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त न हुई हो।
   4. हम्माल एवं तुलावटियों के विरूद्ध मण्डी प्रांगण में किसी प्रकार अभद्रता एवं अन्य प्रकार की कोई शिकायत दर्ज न हो। जिन हम्माल एवं तुलावटियों ने अधिकतम कार्य किया हो उनमें उच्चतम 03 हम्माल एवं 03 तुलावटियों को सम्मानित किया जावे।

3. **योजना अंतर्गत चयन समिति गठन :–**

   योजना अंतर्गत सम्मानित किये जाने हेतु पात्र मण्डी हम्माल एवं तुलावटियों का चयन किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगा:–
   1. अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी समिति
   2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति
   3. मण्डी प्रांगण प्रभारी

4. **चयन की प्रकिया :–**

योजनान्तर्गत मण्डी हम्माल एवं तुलावटियों को सम्मानित किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा मण्डी में कार्यरत हम्माल एवं तुलावटियों में से चयन किया जाकर पात्र हम्माल एव तुलावटी को प्रति वर्ष अंतराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 01 मई को कार्यक्रम आयोजित कर एक मण्डी समिति से 03 हम्माल एवं 03 तुलावटियों को सम्मानित किया जावेगा।

5. **योजना का कियान्यनः**–योजना का कियान्वयन के लिये सचिव मण्डी समिति अधिकृत होंगे योजना को सुचारू एवं प्रभावशील संचालन करने के लिये मंडी समिति का पूर्ण दायित्व रहेगा।

6. **अंतिम निर्णय का अधिकार :–** ''मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सम्मान योजना 2008 में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पर का अंतिम निर्णय का अधिकार कृषि उपज मण्डी समिति को होगा, जो सभी को मान्य करना अनिवार्य होगा।

7. **योजना में संशोधन / परिवर्तन का अधिकार :–**

''मण्डी हम्माल एवं तुलावटी सम्मान योजना में आवश्यकतानुसार किसी भी समय किसी भी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन / रद्द अथवा दिशा निर्देश जारी करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड को सुरक्षित रहेगा। प्रबंध संचालक द्वारा योजना के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन करना प्रत्येक मण्डी समिति के लिये अनिवार्य होगा।

उक्त योजना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

प्रबंध संचालक–सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क. / बोर्ड / यो.गै.तक. / 77 / 2018–19 / 990 भोपाल, दिनांक 03/07/2018

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल.
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल.
3. अपर संचालक(समस्त) / प्रमुख अभियन्ता, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल.
4. संयुक्त संचालक / उपसंचालक (समस्त) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल.
5. संयुक्त संचालक / उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय–..(समस्त)(म.प्र.),तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

प्रबंध संचालक–सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.